

# कार्यालय अंचल अधिकारी, करी।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं०-.....215...../16-17

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी
<p style="font-size: 2em; transform: rotate(-45deg);">25.11.2020</p>	<p style="text-align: center;">झारखण्ड सरकार के ज्ञापक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-03 खा०म०नि०-119/85/2308/रा० दिनांक:- 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं०-914/रा०, दिनांक:-09.12.1198 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-                      मौजा <u>कवासपुर</u> थाना नं० <u>2</u> खाता नं० <u>147</u> खेसरा नं० <u>1146</u> रकबा <u>5.00</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास अनाबाद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी- II के जिल्द संख्या <u>1</u> के पृष्ठ संख्या <u>72</u> पर जमाबंदी रैयत <u>मुदा मुदा</u>                      पिता/पति <u>मुधु मुदा</u> के नाम से कायम है।                      हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।                      हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है।                      प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।                      अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।                      अभिलेख दिनांक <u>03/12/2020</u> को रखें।                      लेखापति एवं संशोधित                      अंचल अधिकारी</p>	<p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी</p>

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
04.12.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत अनुपस्थित। जमाबंदी रैयत मुटा मुण्डा पिता बुधु मुण्डा के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है ,</p> <p>जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा बक्सपुर, थाना नं० 02 के सर्वे खतियान में खाता सं० 147 प्लॉट सं० 1146 रकबा 5.00 एकड़ गैरमजुरुआ खास दर्ज है। राजस्व मांग पंजी ii भाग II के पृष्ठ सं० 92 खाता 147 रकबा 5.00 में प्लॉट सं० 1146 रकबा 5.00 एकड़ मुटा मुण्डा पिता बुधु मुण्डा के नाम दर्ज है। पंजी 2 में लगान रसीद का नियमित दर्ज नहीं है। पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि पर अस्पष्ट एवं अवैध कब्जा है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा बक्सपुर थाना नं० 02 खाता सं० 147 रकबा 5.00 एकड़ भूमि का जमाबंदी रैयत प्लॉट सं० 1146 रकबा 5.00 एकड़ मुटा मुण्डा पिता बुधु मुण्डा के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है।</p> <p>अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा बक्सपुर थाना नं० 02 खाता सं० 147 प्लॉट सं० 1146 रकबा 5.00 एकड़ भूमि की जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी करा।</p> <p>अंचल अधिकारी करा।</p>	